

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ3(ख)(ए-349/88)अलेसे-आ

दिनांक 20.10.15

कार्यालय आदेश

कोषाधिकारी, चित्तौडगढ़ के पत्र क्रमांक कोष/स्था./2015/454 दिनांक 15.10.2015 के द्वारा श्री अशोक कुमार रांका, (लिनक नं० 4750) सलेअ-आ को दिनांक 15.10.2015 को दोपहर से कार्यमुक्त कर अग्रिम पदस्थापन हेतु इस निदेशालय में उपस्थिति दिये जाने के निर्देशों के क्रम में श्री अशोक कुमार रांका, सलेअ-आ द्वारा दिनांक 19.10.2015 को इस निदेशालय में उपस्थिति दिये जाने पर तुरन्त प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में लिया जाकर इनका मुख्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बडीसादडी (चित्तौडगढ़) में किया जाता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में देवें एवं इस कार्यालय के सलेअ-आ का कार्य भी अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करें ।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ3(ख)(ए-349/88)अलेसे-आ 22026-22030 दिनांक 20.10.15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, चित्तौडगढ़ को उनके पत्र क्रमांक 454 दिनांक 15.10.2015 के क्रम में ।
- 2 उपकोषाधिकारी, बडीसादडी (चित्तौडगढ़)
- 3 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बडीसादडी (चित्तौडगढ़) ।
- 4 श्री अशोक कुमार रांका, सलेअ-आ को पालनार्थ ।
- 5 उपनिदेशक कम्प्यूटर शाखा वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।
- 6 निजी पत्रावली/रक्षित पंजिका ।


(डामनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-आ)